प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–364/प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2018

– आदेश –

मेट्रो कालेज ऑफ हेल्थ साइन्स एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा। (डिप्लोमा–कोड–668)

समिति द्वारा संस्थान के सत्र 2018–19 से प्रारम्भ होने तथा आय–व्यय के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण संस्थान पर समिति के निर्णयानुसार प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क अनुमन्य।

अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली–2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या–64/प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी का शुल्कः–

कमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	डिप्लोमा एण्ड इन्जीनियरिंग	30150.00
02	डी0फार्मा0	45000.00
03	डीआर्की0	30250.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	31300.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी0फार्मा0 को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यकमों का शुल्कः–

कमांक	पाठ्यकम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्कमों का शुल्क (डी0फार्मा0 के अतिरिक्त)	22500.00

सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यकमों का शुल्कः–

कमांक	पाठ्यकम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	समस्त पाठ्कमों हेतु	19000.00

3. संस्थान द्वारा विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संस्थान द्वारा मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारण कराने हेतु ऑन–लाइन आवेदन किया गया जो कि अपूर्ण था, तत्क्रम में समिति द्वारा संस्थान को दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से डा0 कनक लता, डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन, डा0 सुरेन्द्र लालवानी एवं रविन्त कुमार झा ने बैठक में प्रतिभाग किया। संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में डी0फार्मा0 पाठ्यकम सत्र 2018–19 से प्रारम्भ हो रहा है। नई संस्था होने के कारण प्रतिनिधियों द्वारा बैलेन्स सीट उपलबध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। अतः समिति द्वारा संस्थान हेतु निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनाक तदैव–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, मेट्रो कालेज ऑफ हेल्थ साइन्स एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव